

उपायुक्त-सह-जिला दण्ड

का कार्यालय गुमला।

अनुसूची - 14 - फारम सं० - 563

आदेश - फलक

(देखें अभिलेख हस्ताक, 1942 का नियम - 129)

सरकार

बनाम

इरसाद अंसारी वगै०

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला - गुमला

वाद सं० :- 34/2016-17

वाद का प्रकार :- अधिहरण (Confiscation)

### आदेश


अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, गुमला के पत्रांक-3423/अप० शा० दिनांक-16.11.2016 द्वारा पालकोट थाना काण्ड सं०-48/2016 दिनांक-28.09.2016 धारा- 414/120 (B) भा०द०वि० 11 (D) (E)पशु कुरता निवारण अधिनियम एवं 12 झारखण्ड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम के तहत जप्त ट्रक सं०-WB23C-3269 को राजसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्राप्त है।


उपरोक्त अधिहरण वाद सं०-34/2016-17 व्यवहार न्यायालय में लंबित होने के कारण संबंधित न्यायालय में वाद का निष्पादन पूर्ण होने तक वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

पुलिस अधीक्षक गुमला/सहायक लोक अभियोजक, गुमला को निदेश दिया जाता है कि व्यवहार न्यायालय में वाद का निष्पादन होने की सूचना अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपलब्ध करायी जाय, ताकि संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उपरान्त उक्त वाद पर पुनः सुनवाई हेतु आवश्यक कार्य की जा सके।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक गुमला/सहायक लोक अभियोजक, गुमला को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

  
11.04.22  
उपायुक्त,  
गुमला।

  
11.04.22  
उपायुक्त,  
गुमला।